





21



:: न्यायालय म० प्र० रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर मध्य प्रदेश, केम्प - उज्जैन म.प्र.
=====

R-2065-III/2001



विस्तृत पोस्ट द्वारा काय दिनांक 29-10-01 को प्राप्त.

मुश्ताक अहमद पिता गफुर रहमद निवा मोहल्ला मगरीया शाजापुर म.प्र.

- 1- म० प्र० शासन द्वारा सक्षम अधिकारी स -गीय अधिकारी महोदय- शाजापुर
 - 2- कमल केशीर पिता हरिचिटठलजी जा निवासी- सोमवारीया बाजार- शाजापुर
- विपक्षीय

निगरानी अंतर्गत धारा- 50 म० प्र० भू रा.संहिता निर्णय दिनांक 12/6/2001 जो न्यायालय अपर आ उज्जैन म.प्र. द्वारा प्र० क्र० 571/99-2000 निग पारित किया गया।



माननीय महोदय,

निगरानी प्रार्थी निम्नानुसार पेश हैं :-

यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विपक्षी क्रमांक-1 क्रमांक-2 के विस्तृत सिलिंग विधान के अंतर्गत कार्यवाही कर ग्राम सौ परगना व जिला- शाजापुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक- 249/1 रकबा सरप्लस घोषित की उक्त भूमि पर निगरानीकर्ता अधिपत्य हैं, नि द्वारा उक्त भूमि के संबंध में एक व्यवहार वाद न्यायालय व्यवहार न महोदय वर्ग-1 शाजापुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था प्र० क्र० 13 इ.टी. मे अंकित होकर दिनांक 20/7/94 को डिफ्री हुआ जिसकी पक्षकार थे।

(Handwritten signature)

मुबलाक अहमद / शासन आदि
R-2065-III/01 शाजापुर

स्था तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों आदि
19-1-16	<p>आवेदक को भेजा गया सूचना पत्र 6 वर्ष पूर्व फौल की शीप के वापस प्राप्त के अनां 802 कमल दिशौर को भेजा गया सूचना उपरोक्त अनुपस्थित। अतः उमद दिशौर सूच पक्षीय कार्यवाही की जाती है अनां 801 शासन की ओर से कोई उपे नती।</p> <p>आवेदक के फौल हो जाने के प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p> </p>	